

कर्मचारी चयन आयोग

विज्ञप्ति

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, सचिवालय सुरक्षा बल में कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन(सामान्य ड्यूटी) की भर्ती परीक्षा, 2015

सरकार एक ऐसा कार्यदल बनाने का प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिम्बित हो तथा महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

फा.सं. 3/1/2014-नी. एवं यो.-1(खण्ड-11)- गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिपादित भर्ती योजना तथा गृह मंत्रालय और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सी.सु.ब., के.रि.पु.ब., के.औ.सु.ब., भा.ति.सी.पु.ब., स.सी.ब., रा.अ.अ. तथा स.सु.ब. में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) तथा असम राइफल्स में राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए एक खुली परीक्षा का आयोजन किया जाएगा । इस भर्ती प्रक्रिया में शारीरिक मापदण्ड परीक्षा, शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी । इस भर्ती की प्रमुख विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :-

- (i) इस परीक्षा का विज्ञापन गृह मंत्रालय द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किया जाएगा ।
- (ii) जम्मू और कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों और सीमावर्ती जिलों, जहां अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प होगा, को छोड़कर अभ्यर्थियों से केवल **ऑनलाइन माध्यम** से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे । दोनों तरीकों के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अस्वीकार की जा सकती है ।
- (iii) गृह मंत्रालय द्वारा मुहैया की गई वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों तथा सीमावर्ती जिलों के नामों की सूची अनुबंध XIV और XIII पर उपलब्ध हैं।
- (iv) शारीरिक मापदण्ड परीक्षा(शामप)/शारीरिक क्षमता परीक्षा(शाक्षप) की समय सारणी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा तैयार की जाएगी तथा आयोजन भी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा किया जाएगा । अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र जारी/उनकी वेबसाइट पर अपलोड समन्वय कार्य कर रहे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा किए जाएंगे ।
- (v) **शामप/शाक्षप में अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा ऑनलाइन (कंप्यूटर आधारित) और ऑफलाइन (कागज आधारित) दोनों तरीकों से किया जाएगा ।**
- (vi) ऑनलाइन परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिन्दी में होगी । ऑफ लाइन परीक्षा अंग्रेजी, हिन्दी तथा इस विज्ञप्ति के पैरा 8 में उल्लिखित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी ।
- (vii) **अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के ऑन लाइन अथवा ऑफलाइन तरीके के लिए विकल्प देना होगा ।** लिखित परीक्षा के लिए बुलावा पत्रों को कर्मचारी चयन आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा । जिन अभ्यर्थियों ने उपरोक्त पैरा (ii) के अनुसार ऑफलाइन आवेदन किया है, उन्हें डाक द्वारा भी बुलावा पत्र प्रेषित किए जाएंगे ।

- (viii) आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार तथा घोषित किया जाएगा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (विचिप) के लिए छांटे गए अभ्यर्थियों की सूची गृह मंत्रालय/समन्वय कार्य कर रहे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को दी जाएगी ।
- (ix) गृह मंत्रालय/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा बुलावा पत्रों को जारी किया जाएगा तथा विस्तृत चिकित्सा परीक्षा तथा पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा(पुचिप) का आयोजन किया जाएगा ।
- (x) विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रहण तथा उनका सत्यापन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा किया जाएगा ।
- (xi) पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा/ विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के आयोजन के पश्चात् आयोग द्वारा किसी बल के लिए आबंटन किए बिना चयनित अभ्यर्थियों की राज्यवार अंतिम सूची तैयार तथा घोषित की जाएगी ।
- (xii) कर्मचारी चयन आयोग द्वारा घोषित ऐसी योग्यता सूची के आधार पर, गृह मंत्रालय/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आबंटन इत्यादि किया जाएगा तथा परिणाम घोषित किया जाएगा ।
- (xiii) परीक्षा की विज्ञप्ति, लिखित परीक्षा का आयोजन तथा योग्यता सूची तैयार करने से संबंधित न्यायालय मामलों/सूचना का अधिकार/लोक शिकायतों का निपटान कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाएगा तथा अन्य सभी विषयों जैसे परीक्षा की योजना, रिक्तियां, शामाप/शाक्षप का आयोजन, विस्तृत चिकित्सा परीक्षा, पुनर्विचार चिकित्सा परीक्षा, चयनित अभ्यर्थियों का बल आबंटन इत्यादि से संबंधित मामलों का निपटान समन्वय कार्य कर रहे केसपुब-केरिपुब द्वारा किया जाएगा ।
- (xiv) केवल शारीरिक मापदण्ड परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को 4.10.2015 और यदि आवश्यक हुआ तो आने वाले दिनों में आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा(ऑनलाइन/ऑफलाइन) के लिए बुलाया जाएगा । लिखित परीक्षा में कार्य निष्पादन के आधार पर, अभ्यर्थियों को चिकित्सा परीक्षा के लिए आयोग द्वारा यथा निर्णय अनुपात में छांटा जाएगा ।

वेतनमान- वेतनबैंड -I 5200-20200 रूपए + ग्रेड वेतन 2000/- रूपए

2. रिक्तियाँ एवं आरक्षण निम्नानुसार हैं : -

कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) परीक्षा,2015 के माध्यम से भरी जाने वाली कांस्टेबल(सामान्य ड्यूटी) की रिक्तियों की कुल संख्या निम्नानुसार है :-

बल	पुरुष					महिला					सकल योग
	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	अजा	अजजा	अपिव	अना	योग	
सीसुब	2882	1649	4004	9163	17698	793	458	1103	2465	4819	22517
केऔसुब	672	342	1210	2269	4493	79	37	136	255	507	5000
केरिपुब	3950	2345	4953	11375	22623	325	186	460	994	1965	24588
ससीब	899	448	1324	2948	5619	98	48	142	317	605	6224
भातिसीपु	417	290	582	1506	2795	46	31	67	162	306	3101
असम राइफल्स	40	45	57	158	300	40	45	57	158	300	600
रा.अन्वे. अभिकरण	11	06	22	43	82	01	00	01	02	04	86
स.सु.बल	17	36	52	142	247	02	04	06	15	27	274
योग	8888	5161	12204	27604	53857	1384	809	1972	4368	8533	62390

इन रिक्तियों का राज्य-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा निम्नानुसार परिशिष्टों में संलग्न है:-

क्रम सं.	ब्यौरे	परिशिष्ट
1.	नक्सलवाद/आतंकवाद प्रभावित जिला क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-वार और श्रेणी-वार (अजा, अजजा, अपिव तथा अना) समेकित रिक्तियां (पुरुष)	परिशिष्ट-'क'
2.	नक्सलवाद/आतंकवाद प्रभावित जिला क्षेत्रों सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य-वार और श्रेणी-वार (अजा, अजजा, अपिव तथा अना) समेकित रिक्तियां (महिला)	परिशिष्ट-'ख'
3.	सीमावर्ती जिलों की राज्य-वार और श्रेणी-वार (अजा, अजजा, अपिव तथा अना) समेकित रिक्तियां (पुरुष)	परिशिष्ट-'ग'
4.	सीमावर्ती जिलों की राज्य-वार और श्रेणी-वार (अजा, अजजा, अपिव तथा अना) समेकित रिक्तियां (महिला)	परिशिष्ट-'घ'
5.	वर्ष 2015-16 के लिए रिक्ति के संगठन-वार ब्यौरे	परिशिष्ट-'च'

टिप्पणी-I : नियुक्ति के लिए चयनित अभ्यर्थियों को भारतवर्ष में कहीं भी सेवा करनी पड़ सकती है ।

टिप्पणी-II: प्रत्येक श्रेणी में भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% रिक्तियां आरक्षित हैं ।

टिप्पणी -III: चूंकि रिक्तियां संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को आवंटित की गई हैं, अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन के समय आवेदन पत्र में उनके द्वारा उल्लिखित राज्य का अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा तथा अभ्यर्थी को चिकित्सा परीक्षा कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी । यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है तो उसे चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेजों के सत्यापन के समय राज्य कोड में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी ।

टिप्पणी- IV: केन्द्रीय पुलिस संगठनों के सेवारत कार्मिकों के बच्चे जो उनके साथ रह रहे हैं वे या तो गृह राज्य अथवा उस राज्य से आवेदन कर सकते हैं, जिसमें सेवारत व्यक्ति भर्ती के समय तैनात है । इस रियायत का लाभ उठाने के लिए उन्हें इस अधिसूचना के साथ लगे अनुबंध(अनुबंध-IX) में दिए गए प्रारूप के अनुसार यूनिट कमांडर से प्राप्त प्रमाणपत्र की फोटोकापी प्रस्तुत करनी होगी । तथापि, वे नक्सल और आतंकवाद प्रभावित जिलों के लिए आरक्षण के हकदार नहीं होंगे , यदि वे इन जिलों के वास्तविक अधिवासी नहीं हैं ।

टिप्पणी-V : अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता और रिक्तियों के अधीन है । इसलिए, अभ्यर्थियों को रिक्तियों और साथ ही साथ प्रशिक्षण स्थल की उपलब्धता के अनुसार अलग-अलग चरणों में नियुक्त किया जा सकता है ।

3. राष्ट्रीयता/नागरिकता:

अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए ।

4(क) आयु सीमा: 01.08.2015 को 18 से 23 वर्ष । अभ्यर्थी का जन्म 02.08.1992 से पहले और 01.08.1997 के बाद न हुआ हो ।

टिप्पणी I: अजा,अजजा,अपिव,भूतपूर्व सैनिक और व्यक्तियों की अन्य श्रेणियों के लिए इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट है ।

टिप्पणी II: अभ्यर्थी यह नोट कर लें कि आयोग द्वारा आयु पात्रता के निर्धारण के लिए मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या किसी समकक्ष प्रमाणपत्र में अंकित जन्मतिथि ही स्वीकार की जाएगी तथा बाद में इसमें किसी परिवर्तन के अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

4(ख) गणना की तिथि को आयु में छूट के दावे के लिए पात्र अभ्यर्थियों की विभिन्न श्रेणी के लिए उपलब्ध श्रेणी-कोड और आयु में छूट :

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में स्वीकार्य(अनुज्ञेय) छूट
01	अजा/अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
09	भूतपूर्व सैनिक(अनारक्षित/सामान्य)	गणना की तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
10	भूतपूर्व सैनिक(अपिव)	गणना तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 06 वर्ष (3वर्ष +3वर्ष)
11	भूतपूर्व सैनिक (अजा/अजजा)	गणना तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 08 वर्ष(3वर्ष +5वर्ष)
21	अभ्यर्थी जो साधारणतया 1जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर,1989 की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अनारक्षित)	05 वर्ष
22	अभ्यर्थी जो साधारणतया 1जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर,1989 की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अपिव)	08 वर्ष
23	अभ्यर्थी जो साधारणतया 1जनवरी,1980 से 31 दिसम्बर,1989 की अवधि के दौरान जम्मू व कश्मीर राज्य के अधिवासी रहे हों (अजा/अजजा)	10 वर्ष
33	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अनारक्षित)	05 वर्ष
34	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अपिव)	08 वर्ष
35	1984 के दंगों अथवा गुजरात में 2002 के साम्प्रदायिक दंगों में मारे गए दंगा पीड़ितों के बच्चे और उनके आश्रित (अजा/अजजा)	10 वर्ष

टिप्पणी: I ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण के लाभ को प्राप्त करके नियमित आधार पर केन्द्र सरकार के अंतर्गत समूह 'ग' एवं 'घ' पदों में पहले से ही नौकरी प्राप्त कर ली है, वे शुल्क में छूट अथवा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हैं। तथापि, वे आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।

टिप्पणी: II सशस्त्र सेनाओं में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि आयु में छूट प्राप्त करने के उद्देश्य से सशस्त्र सेनाओं में प्रदत्त सेवा के रूप में भी मानी जाएगी।

टिप्पणी: III आरक्षण के लाभों को प्राप्त करने के प्रयोजन से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक के लिए आवश्यक है कि उसने इस पद/सेवा के लिए आवेदन पत्र भेजने के संगत समय पर भूपूसै का दर्जा पहले ही हासिल कर लिया हो और/अथवा उसे सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के द्वारा अपनी इस अर्जित हकदारी को सिद्ध करने की स्थिति में होना चाहिए कि वह **अन्तिम तिथि (अर्थात् 23.02.2015)** से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं की विनिर्दिष्ट सेवा की अवधि पूरी कर लेगा।

टिप्पणी: IV भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है।

टिप्पणी: V सैन्य सेवा और पुनर्नियुक्ति के बीच दो वर्ष से अधिक का अन्तर नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण 1: भूपूसै से **आशय** उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, जल सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- (i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अपने अनुरोध पर कार्यमुक्त/सेवानिवृत्त हुए हों किंतु अपनी पेंशन अर्जित कर चुके हों; या
- (ii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो; या
- (iii) जिसे कर्मचारियों में कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो; या
- (iv) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न करके किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात्:-
 - (क) निरंतर मूर्त्त सेवा के पेंशनधारी,
 - (ख) सैनिक सेवा के कारण अक्षम हुए व्यक्ति; और
 - (ग) वीरता पुरस्कार विजेता

स्पष्टीकरण 2: संघ की सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत व्यक्ति जो सेवा से निवृत्त होने के पश्चात् "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएंगे, को सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी करने से एक वर्ष पहले पुनर्नियुक्ति हेतु

आवेदन करने तथा भूपूँसै की सभी रियायतों का लाभ उठाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें तब तक वर्दी (यूनिफार्म) छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि वे संघ की सशस्त्र सेनाओं में सेवा की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी नहीं कर लेते।

स्पष्टीकरण 3: बच्चों से तात्पर्य

- क) पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा
- ख) पुत्री (दत्तक पुत्री सहित)

आश्रित परिवार के सदस्यों से तात्पर्य

- क) पति/पत्नी अथवा
- ख) बच्चे अथवा
- ग) अविवाहित पीड़ित के मामले में भाई अथवा बहन जो उस पीड़ित व्यक्ति पर दंगे में उसके मारे जाने के समय पूर्णतया आश्रित था/थी पात्र होगा/होगी। श्रेणी संख्या 33/34/35, में ऊपरी आयु में छूट के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक को इस आशय का संबंधित जिला कलैक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, जहां पीड़ित व्यक्ति मारा गया था, से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4(ग): प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्र का प्रारूप:

जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं/ अथवा आयु में छूट चाहते हैं, सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त **अपेक्षित प्रमाणपत्र अवश्य प्रस्तुत करें**। अन्यथा अजा/अजजा/अपिव/भूपूँसै के दर्जे के उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन को **सामान्य (अना)** श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इन प्रमाणपत्रों के प्रारूप संलग्न हैं। किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त प्रमाणपत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपिव दर्जे का दावा करने वाले अभ्यर्थी नोट कर लें कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र अंतिम तिथि अर्थात् **23.02.2015** से पहले **तीन वर्ष की अवधि के भीतर** प्राप्त कर लिया गया हो। आयोग ने अपिव से संबंधित होने के वैध प्रमाण के रूप में, आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि के बाद लेकिन उनकी चिकित्सा परीक्षा की तारीख को अथवा उससे पूर्व विहित प्रारूप में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाणपत्र को स्वीकार करने का निर्णय लिया है।

किसी राज्य/संघ शासित क्षेत्र से संबंधित अभ्यर्थियों पर उनके संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र में भर्ती के लिए ही विचार किया जाएगा जिसके लिए उन्हें अपना अधिवासी दर्जा सिद्ध करने के लिए सम्बद्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र द्वारा यथा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध "अधिवास प्रमाणपत्र" दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसकी अभ्यर्थिता को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में उल्लिखित राज्य के अलावा किसी अन्य राज्य द्वारा जारी अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है तो उस के बारे में उस राज्य के लिए विचार किया जाएगा जिस राज्य का उसने अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तथा उसे चिकित्सा परीक्षा/दस्तावेजों के सत्यापन के समय राज्य कोड में परिवर्तन करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

चूंकि असम राज्य अधिवास प्रमाणपत्र/पीआरसी जारी नहीं कर रहा है, इसलिए असम राज्य के अभ्यर्थी को इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, उनका चयन संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आवास प्रस्थिति के सत्यापन की शर्त पर होगा। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी, जो जम्मू व कश्मीर राज्य में बस गए हैं, लेकिन उन्हें जम्मू व कश्मीर राज्य का नागरिक होने का दर्जा नहीं दिया गया है, की भर्ती जम्मू व कश्मीर राज्य के नामित प्राधिकारी से अधिवास प्रमाणपत्र प्राप्त करने की शर्त के बिना की जाएगी।

टिप्पणी - I : अभ्यर्थियों को चेतावनी दी जाती है कि यदि वे कपटपूर्वक अजा/ अजजा/अपिव/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का होने का दावा करते हैं तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा से उन्हें स्थायी तौर पर वारित किया जा सकता है ।

5. अनिवार्य योग्यता (01.08.2015 को)

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन अथवा दसवीं कक्षा उत्तीर्ण ।

6 भुगतान का तरीका :

(i) ऑफ -लाइन आवेदन(केवल जम्मू और कश्मीर पूर्वोत्तर राज्यों तथा पहचान किए गए वामपंथी उग्रवाद प्रभावित और सीमावर्ती जिलों के अभ्यर्थियों के लिए, जो ऑफलाइन आवेदन करते हैं) :

अभ्यर्थियों को 50/- रुपए(पचास रुपए केवल) के शुल्क का भुगतान केवल " **केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकटों (के.भ.शु.टि.)**" के माध्यम से ही करना चाहिए । **के.भ.शु. टिकटें** देश के सभी विभागीय डाकघरों के काउंटरों पर उपलब्ध हैं । ये भर्ती शुल्क टिकटें आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर चिपकाई जानी चाहिए हैं और इन भर्ती शुल्क टिकटों को जारी करने वाले डाकघर के काउंटर द्वारा उसी डाकघर की **तारीख युक्त मोहर** से इस ढंग से **निरस्त करा लेना चाहिए** कि छाप अथवा निरस्तीकरण मुहर का कुछ अंश आवेदन पत्र पर भी पड़ जाए, साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि छाप बिलकुल स्पष्ट हो ताकि **परवर्ती चरण में जारी करने वाले डाकघर और तारीख को सफलतापूर्वक पहचाना जा सके** । भर्ती शुल्क टिकटों को डाकघर से निरस्त करा लेने के बाद अभ्यर्थी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करके अपना आवेदन पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दें ।

(ii) ऑन-लाइन आवेदन :

ऑन-लाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा <http://ssconline.nic.in> और <http://ssconline 2.gov.in> पर उपलब्ध है । वे अभ्यर्थी जो अपने आवेदन पत्रों को ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें अपेक्षित शुल्क का भुगतान केवल भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से या तो चालान के रूप में अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान/नैट बैंकिंग/क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करना चाहिए ।

(iii) महिला अभ्यर्थी और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों को शुल्क के भुगतान से छूट है ।

टिप्पणी-I: एक बार भुगतान किया गया शुल्क किन्हीं भी परिस्थितियों में वापस नहीं किया जाएगा ।

टिप्पणी-II: **के.भ.शु.टि./भारतीय स्टेट बैंक चालान/भारतीय स्टेट बैंक चालान/नैट बैंकिंग/भारतीय स्टेट बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान**, जैसा ऊपर दिया गया है, को छोड़कर अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसे

अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे तथा किया गया भुगतान जब्त कर लिया जाएगा ।

टिप्पणी-III: अभ्यर्थी कृपया यह नोट कर लें कि संबंधित डाकघर द्वारा ऊपर निर्दिष्ट तरीके से **टिकट निरस्त न कराने पर** उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं, अतः यह अभ्यर्थियों के हित में है कि वे संबंधित डाकघर से के.भ.शु.टिकट को निरस्त करा लें ।

7. परीक्षा केन्द्र

अभ्यर्थी को **शारीरिक मापदण्ड परीक्षा/शारीरिक क्षमता परीक्षा** में उसके चयन होने की स्थिति में आवेदन पत्र में उस केन्द्र को दर्शाना होगा जहां वह लिखित परीक्षा के लिए बैठना चाहता है ।

क्रम संख्या	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	वह पता जहां जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा अनुबंध XIII और XIV में यथा-उल्लिखित वामपंथी उग्रवाद प्रभावित तथा सीमावर्ती जिलों से ऑफलाइन आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को आवेदन भेजने हैं
1.	2.	3.
1.	भागलपुर(3201), मुजफ्फरपुर (3205), आगरा(3001), बरेली(3005), गोरखपुर(3007), कानपुर(3009), मेरठ(3011), वाराणसी(3013), इलाहाबाद (3003), पटना(3206), लखनऊ(3010)	क्षेत्रीय निदेशक(म.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, 21-23, लाउदर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-211002
2.	कोलकाता(4410), मिदनापुर(4413), पोर्ट ब्लेयर (4802), संबलपुर(4609), गंगटोक(4001), जलपाईगुड़ी (4408), भुवनेश्वर(4604), कटक(4605), रांची(4205), सिलीगुड़ी और बरहामपुर (गंजम)	क्षेत्रीय निदेशक(पू.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम एमएसओ भवन, (आठवां तल), 234/4, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020
3.	बंगलोर(9001), तिरुवनन्तपुरम(9211), कोची(9204), त्रिसूर(9212), गुलबर्गा(9005), मंगलोर(9008), धारवाड़(9004), कोझीकोड (कालीकट) (9206)	क्षेत्रीय निदेशक(के.क.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली मंजिल, "ई" विंग, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बंगलोर, कर्नाटक-560034
4.	दिल्ली(2201), जयपुर(2405), जोधपुर(2406), कोटा(2407), बीकानेर(2404), उदयपुर(2409), अजमेर(2401), अलवर (2402), श्रीगंगानगर(2408), देहरादून(2002), हलद्वानी(2003), अलमोड़ा(2001), श्रीनगर (उत्तराखण्ड) (2004)	क्षेत्रीय निदेशक(उ.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक सं. 12, सी.जी.ओ. काम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110504
5.	गुवाहाटी(दिसपुर) (5105), ईटानगर(5001), डिब्रूगढ़(5102), जोरहाट(5107), सिलचर(5111), इम्फाल(5501), शिलांग(5401), आइजोल(5701), कोहिमा(5302), अगरतला(5601), चूड़ाचांदपुर(5502)	क्षेत्रीय निदेशक(पूर्वो.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, वेस्ट एण्ड ब्लॉक, लास्ट गेट, बेलटोला, वशिष्ठ रोड, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006
6.	हैदराबाद(8002), चेन्नई(8201), मदुरै(8204), विशाखापट्टनम(8007)	क्षेत्रीय निदेशक(द.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ईवीके सपंत बिल्डिंग, दूसरा तल, कॉलेज रोड, चेन्नई, तमिलनाडु-600 006

7.	औरंगाबाद (7202), मुम्बई(7204), कोल्हापुर(7203), नागपुर(7205), पणजी(7801), पुणे(7208), अहमदाबाद(7001), वडोदरा (7002), राजकोट (7006),नासिक (7207), अमरावती (7201), सूरत(7007)	क्षेत्रीय निदेशक(प.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल,दक्षिण विंग,प्रतिष्ठा भवन, 101,एम.के.रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400020
8.	अम्बिकापुर(6201), इंदौर(6006), जबलपुर(6007), जगदलपुर(6203), छिंदवाड़ा(6003),छत्तरपुर(6002), गुना(6004),मंदसौर(6010), झाबुआ(6008),खण्डवा(6009), रीवा(6012),रायपुर(6204), भोपाल(6001),ग्वालियर(6005), बिलासपुर(6202),	उप-निदेशक(म.प्र.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, जे-5 अनुपम नगर, रायपुर छत्तीसगढ़-492001
9.	जालंधर(1402),लेह(1005), चण्डीगढ़(1601),जम्मू(1004), श्रीनगर(ज.एवं क.)(1007) शिमला(1203), भटिण्डा(1401), हमीरपुर(1202),अनंतनाग(1001), बारामूला(1002), राजौरी(1006), कारगिल(1008), डोडा(1009)	उप-निदेशक(पश्चिमो.क्ष.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लाक सं.-3,भूतल, केंद्रीय सदन, सैक्टर-9, चण्डीगढ़-160017

टिप्पणी-I : किन्हीं भी परिस्थितियों में केन्द्र में किसी परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्रों का चुनाव **सावधानीपूर्वक** करना चाहिए तथा अपने आवेदन पत्र में **उसे ठीक-ठीक दर्शाना चाहिए ।**

टिप्पणी-II : आयोग के पास यह अधिकार **सुरक्षित** है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थी को किसी **अन्य** केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे । आयोग को यह भी अधिकार है कि वह परीक्षा देने के लिए किसी भी केंद्र के अभ्यर्थी को किसी अन्य केन्द्र पर **स्थानांतरित** कर दे ।

8. परीक्षा की योजना:

1. शारीरिक मापदण्ड परीक्षा : (महिला अभ्यर्थी केवल उनके लिए निर्धारित पदों के लिए ही पात्र हैं)

- (i) इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले और प्रथम दृष्टया पात्र सभी अभ्यर्थियों को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के साथ परामर्श से आयोग द्वारा निर्धारित स्थानों पर शारीरिक मापदण्ड परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा । आयोग द्वारा उनकी पात्रता की विस्तृत संवीक्षा शा.क्ष.प./शा.मा.प. से पहले नहीं की जाएगी । इसलिए, अभ्यर्थी का यह दायित्व है कि वह शा.मा.प. /शा.क्ष.प. के लिए उपस्थित होने से पहले इस विज्ञप्ति में यथा निर्धारित पात्रता का सत्यापन कर लें ।

- (ii) कांस्टेबल के पद के लिए निर्धारित **शारीरिक मापदण्ड** निम्नानुसार हैं :-

क) **लम्बाई :** पुरुषों के लिए 170 सें मी.
महिलाओं के लिए 157 सें मी.

ख) **सीना :** केवल पुरुषों के लिए- बिना फुलाए : 80 सें मी.
फुलाकर : न्यूनतम 05 सें मी. का फुलाव

ग) **वजन :** पुरुषों एवं महिलाओं के लिए: चिकित्सा मानकों के अनुसार लम्बाई एवं आयु के अनुपात में ।

(iii)

छूट :

क) **लम्बाई :**

(i) गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा एवं असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों में पुरुषों के लिए न्यूनतम लम्बाई **165 सें.मी.** और महिलाओं के लिए **155 सें.मी.** होगी। अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई पुरुषों के लिए **162.5 सें.मी.** और महिलाओं के लिए **150 सें.मी.** होगी।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम तथा त्रिपुरा में रहने वाले अभ्यर्थियों तथा गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) जिसमें दार्जिलिंग जिले के तीन उप-प्रभाग नामतः दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुरसियोंग शामिल हैं तथा इसमें इन जिलों के निम्नलिखित "मौजास" उप-मण्डल शामिल हैं में रहने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई **162.5 सें.मी.** तथा महिला अभ्यर्थियों के लिए **152.5 सें.मी.** होगी :

(1) लोहागढ़ चाय बागान (2) लोहागढ़ वन (3) रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापती वन-1 (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छोट भाग-11 (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

(iii) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा तथा वामपंथी आतंकवाद प्रभावित जिलों की श्रेणी में आने वाले अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम लम्बाई **160 सें.मी.** और महिला अभ्यर्थियों के लिए **147.5 सें.मी.** होगी

सीना :

(i) गढ़वाली, कुमायूं, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों एवं असम, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना **78 सें.मी. (न्यूनतम 5 सें.मी. का फुलाव)**। अनुसूचित जनजाति से संबंधित सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना **76 सें.मी. (न्यूनतम 5 सें.मी. का फुलाव)** होगा।

(ii) पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा और गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) जैसा कि ऊपर पैरा 8(i)(iii) में उल्लेख किया गया है, की श्रेणी में आने वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीना बिना फुलाए **77 सें.मी.** होगा (**न्यूनतम 5 सें.मी. के फुलाव सहित**)।

(iv) **शारीरिक मापदण्ड परीक्षा(शा.मा.प.)/शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.)**

(क) जो अभ्यर्थी लम्बाई के मानदण्डों पर पात्र पाए जाएंगे, उनकी शा.क्ष.प.(दौड़) ली जाएगी जिसके बाद बायो-मिट्रिक पहचान और साक्ष्य प्रमाण-पत्रों की संवीक्षा की जाएगी तथा बाद में बोर्ड द्वारा उनका सीने और वजन का माप लिया जाएगा।

(ख) शारीरिक क्षमता परीक्षा(शा.क्ष.प.)

	पुरुष अभ्यर्थियों के लिए	महिला अभ्यर्थियों के लिए
दौड़	24 मिनट में 5 कि.मी.	8.30 मिनट में 1.6 कि.मी.

लद्दाख क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए

	पुरुष	महिला
दौड़	6.30 मिनट में 1 मील	4 मिनट में 800 मीटर

(ग) शा.क्ष.प. के समय गर्भावस्था को अपात्रता माना जाएगा और इस चरण पर गर्भवती महिला अभ्यर्थी को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(घ) भूतपूर्व सैनिकों के लिए शा.क्ष.प. नहीं होगी । तथापि, उन्हें चिकित्सा परीक्षा में अर्हता प्राप्त करनी होगी ।

टिप्पणी :

1. महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने की माप के लिए कोई भी न्यूनतम आवश्यकता नहीं होगी ।
2. उपर्युक्तानुसार लंबाई तथा सीने में छूट (यथास्थिति) **अनुबंध-VIII में यथा-निर्धारित प्रारूप** में उस जिले के सक्षम प्राधिकारी का **शामाप/शाक्षप के समय केवल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही अनुज्ञेय** होगी जहाँ अभ्यर्थी सामान्यतः रहता है ।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शारीरिक मापदण्डों अर्थात् लम्बाई और सीने में गैर-अर्हक घोषित किए गए हैं, वे यदि चाहें तो, शारीरिक क्षमता परीक्षा स्थल में उपस्थित अपील प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं । अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इस संबंध में किसी अन्य अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।
4. शा.मा.प./शा.क्ष.प. का आयोजन करने की जिम्मेदारी पूर्णतः के स पु बलों की होगी । आयोग द्वारा शा.मा.प./शा.क्ष.प. बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध किसी अभ्यावेदन/अपील/सूचना का अधिकार आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

II. लिखित परीक्षा -04 अक्टूबर, 2015

आयोग द्वारा शा.मा.प./शा.क्ष.प. में अर्हताप्राप्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जाएगा । अभ्यर्थियों को आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन तरीके के लिए विकल्प देना होगा । हालांकि आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा विकल्पित केन्द्रों में सहयोजित करने का प्रयास करेगा, फिर भी आयोग प्रशासनिक सुलभता के अनुसार केन्द्रों को संयुक्त कर सकता है अथवा अभ्यर्थियों को अन्य केन्द्रों पर भी भेज सकता है । लिखित परीक्षा में केवल **एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्नपत्र होगा** जिसमें निम्नलिखित संरचना के अनुसार **100 अंकों वाले 100 प्रश्न** होंगे :-

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि /दिया गया समय
भाग-क	सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति	25	25	2 घंटे
भाग-ख	सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी	25	25	
भाग-ग	प्रारंभिक गणित	25	25	
भाग-घ	अंग्रेजी/हिन्दी	25	25	

सभी प्रश्न **वस्तुनिष्ठ - बहु-विकल्पीय प्रकार** के होंगे। **ऑफलाइन परीक्षा के लिए** प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में/अंग्रेजी और हिन्दी/कश्मीरी(जम्मू एवं कश्मीर के लिए उर्दू लिपि), मराठी(महाराष्ट्र), गुजराती(गुजरात), मलयालम(केरल), कन्नड़(कर्नाटक), तेलुगू(आंध्र प्रदेश), तमिल(तमिलनाडु), उड़िया(उड़ीसा), बंगला(पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा), पंजाबी(पंजाब के लिए गुरुमुखी लिपि) असमी(असम और अरुणाचल प्रदेश), मणिपुरी(मणिपुर) और मिजो (मिजोरम) तीन भाषाओं में तैयार किए जाएंगे। तदनुसार प्रश्नपत्र भाग क, ख और ग के उत्तर इनमें से किसी भी भाषा में दिए जा सकते हैं। अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र के भाग 'घ' के हिन्दी अथवा अंग्रेजी के भाग में से किसी एक को हल करना होगा।

ऑनलाइन परीक्षा के लिए प्रश्न केवल अंग्रेजी और हिन्दी में होंगे।

ऑनलाइन परीक्षा 04-10-2015 को और यदि अपेक्षित हुआ तो अनुवर्ती दिनों में आयोजित की जाएगी।

लिखित परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निम्नवत है :

क सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति : सैद्धांतिक रूप से गैर शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विशेषणात्मक अभिरुचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला, गैर-शाब्दिक शृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

ख सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी : इस घटक के प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी के आसपास के परिवेश की सामान्य जानकारी की जांच करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेषकर खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, सामान्य राज्य-व्यवस्था, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान इत्यादि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनके लिए किसी विषय के विशेष अध्ययन की जरूरत नहीं होती।

ग प्रारंभिक गणित इस प्रश्न पत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णांक का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, छूट, क्षेत्रमिति,

समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

घ अंग्रेजी/हिन्दी अभ्यर्थियों की मूल अंग्रेजी/हिन्दी के ज्ञान, उसकी मूलभूत समझ आदि की जाँच की जाएगी।

उपर्युक्त सभी घटकों में प्रश्न मैट्रिकुलेशन स्तर के होंगे।

टिप्पणी 1: अभ्यर्थियों को मोबाइल फोन/कैल्क्यूलेटर अथवा कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत उपकरण इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। इसलिए अभ्यर्थियों को परीक्षा परिसरों में मोबाइल फोन, कैल्क्यूलेटर अथवा कोई अन्य इलैक्ट्रॉनिक/वैद्युत उपकरण नहीं लाना चाहिए। इन वस्तुओं को अपने पास रखना, चाहे वे इनका प्रयोग करें या न करें, उन्हें परीक्षा में "अनुचित साधनों का प्रयोग" करते हुए माना जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग की वर्तमान नीति के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी 2: आयोग उत्तर-कुंजियों (KEYS) को वेबसाइट पर डालने के **दस दिनों के** उपरांत लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्रों के संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का संज्ञान नहीं लेगा।

टिप्पणी 3: लिखित परीक्षा की तिथि में परिवर्तन हो सकता है, उस स्थिति में नई तिथि की सूचना समाचारपत्रों, आयोग की वेबसाइट और इस परीक्षा के प्रवेश प्रमाण पत्रों के माध्यम से दी जाएगी।

टिप्पणी 4: ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रकों में जिस तरीके से अंकन किया जाना है इसके संबंध में नमूने ओ.एम.आर. पत्रक के साथ विस्तृत अनुदेश आयोग की वेबसाइट: <http://ssc.nic.in> पर उपलब्ध हैं।

III चिकित्सा परीक्षा

क) दृष्टि :

दृष्टि तीक्ष्णता बिना किसी सहायता के (नजदीक की दृष्टि)		तेज असंशोधित दृष्टि (दूर की दृष्टि)		अपवर्तन	रंग संबंधी दृष्टि	अभ्युक्ति
बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि	बेहतर दृष्टि	खराब दृष्टि			
एन 6	एन 9	6/6	6/9	किसी भी प्रकार के दृष्टि सुधार की अनुमति नहीं है चाहे वह चश्मे से ही क्यों न हो	इसिहारा द्वारा सीपी-III	दाएं हाथ से कार्य करने वाले व्यक्ति में, दाईं आंख बेहतर होती है और इसके विलोमतः द्विनेत्री दृष्टि अपेक्षित होती है

(i) अभ्यर्थी के घुटने मिले हुए, पैर सपाट, सूजी हुई नस अथवा आंखों में भेंगापन नहीं होना चाहिए और उसकी रंग संबंधी दृष्टि उच्च होनी चाहिए। उन्हें शारीरिक एवं मानसिक रूप

- से स्वस्थ तथा कर्तव्यों के कुशलतापूर्वक निर्वहन में बाधा पहुंचाने वाले किसी भी शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए ।
- (ii) केवल उन्हीं अभ्यर्थियों, जिन्होंने लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा नियत से ऊपर कट-ऑफ अंक प्राप्त किए हैं, को ही चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होना अपेक्षित होगा । आयोग को प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में आबंटित रिक्तियों पर विचार करते हुए, विभिन्न राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग अर्हक मानदण्ड निर्धारित करने का विवेकाधिकार होगा ।
- (iii) चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता शर्तों में यथानिर्धारित उनके शारीरिक और चिकित्सा स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा स्थापित चिकित्सा बोर्ड द्वारा उनकी चिकित्सा दृष्टि से जांच की जाएगी । "जो उम्मीदवार अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें चिकित्सा परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।"
- (iv) चिकित्सा परीक्षा(एक्स-रे और प्रयोगशाला) केवल ऐसे अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाएगी जिन्हें परीक्षा के सभी स्तरों से गुजरने के पश्चात् 'स्वस्थ' पाया जाता है ।
- (v) चिकित्सा परीक्षा के मामले में "अस्थायी अस्वस्थता" की अनुमति नहीं दी जाएगी । तथापि, ऐसी कोई महिला अभ्यर्थी जिसकी चिकित्सा परीक्षा के दौरान 12 सप्ताह अथवा अधिक अवधि की गर्भावस्था का पता चलता है, तो उसे अस्थाई रूप से 'अस्वस्थ' घोषित कर दिया जाएगा और उनकी चिकित्सा परीक्षा गर्भावस्था समाप्त होने तक अस्थगित रखी जाएगी ।
- (vi) अस्वस्थ घोषित किए गए अभ्यर्थी चिकित्सा बोर्ड द्वारा 'अनुपयुक्त' घोषित किए जाने के 15 दिन के भीतर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल में प्राधिकृत प्राधिकारी को अपील/अभ्यावेदन कर सकते हैं ।
- (vii) अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्र चिकित्सा परीक्षा स्तर पर जांचे जाएंगे ।

9. ऑफलाइन परीक्षाओं में अभ्यर्थियों द्वारा अनुपालन हेतु सामान्य अनुदेश

- (i) अभ्यर्थियों को स्वयं अपने हाथ से उत्तर लिखने/दर्शाने होंगे ।
- (ii) प्रश्न पत्रों में, जहां कहीं भी आवश्यक हो, भार और माप की केवल मीट्रिक प्रणालियों का उपयोग किया जाएगा ।
- (iii) अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति में निर्दिष्ट साधनों को छोड़कर कैल्क्यूलेटर और अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है । इसलिए इन्हें परीक्षा परिसर/स्थल के अन्दर नहीं लाना चाहिए ।
- (iv) यदि परीक्षा हॉल में किसी अभ्यर्थी के पास चालू अथवा बंद स्थिति में मोबाइल फोन अथवा वायरलेस संचार का कोई अन्य माध्यम पाया जाता है, तो उसकी अभ्यर्थिता उसी क्षण निरस्त कर दी जाएगी ।
- (v) बहु-विकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को ओ.एम.आर प्रकार की उत्तर-पुस्तिकाएं दी जाएंगी । अभ्यर्थियों को उनके हित में निम्नलिखित अनुदेश बहुत ही सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है :
- (क) ओ.एम.आर. उत्तर-पुस्तिका के भाग 'क' को केवल बॉल प्वाइण्ट पेन (काले/नीले) से ही भरा जाए ।
- (ख) ओ.एम.आर. उत्तर-पुस्तिका में दिए गए अनुदेश के अनुसार, ओ.एम.आर. उत्तर-पुस्तिका के भाग 'ख' को भी केवल बॉल प्वाइण्ट पेन (काले/नीले) से ही भरा जाना चाहिए ।

- (ग) अभ्यर्थियों को ओ एम आर उत्तर पुस्तिका में अपना नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, प्रवेश प्रमाणपत्र में यथा उल्लिखित परीक्षा का नाम , जन्म तिथि, टेस्ट फार्म संख्या संगत स्थानों पर सही-सही लिखना चाहिए । उनसे इस प्रयोजनार्थ दिए गए खानों में घसीट लिपि में हस्ताक्षर करने और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप भी लगाने का अनुरोध किया जाता है । जिन उत्तर पुस्तिकाओं पर अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, टिकट संख्या, टेस्ट फॉर्म संख्या, भाग-'घ' (अंग्रेजी/हिन्दी) की भाषा, हस्ताक्षर और बाएं हाथ के अंगूठे की छाप नहीं होगी तथा जिसमें पूरा-पूरा विवरण और सही प्रकार से कोडीकरण नहीं किया होगा उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और उन्हें 'शून्य' अंक दिए जाएंगे । इस संबंध में आयोग द्वारा कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा ।

9(क): ऑनलाइन परीक्षा के सम्बन्ध में कम्प्यूटर स्क्रीन पर दिए गए अनुदेशों का अनुसरण किया जाए।

10. चयन का तरीका:

(i) आयोग कोई बल आबंटन तैयार किए बगैर अभ्यर्थियों की अंतिम योग्यता सूची श्रेणी-वार तथा राज्य-वार के क्रम में तैयार करेगा। बल आबंटन नोडल के.सु.पु.ब./गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा तथा अंतिम परिणाम भी उनके द्वारा घोषित किया जाएगा।

- (ii) चयन के लिए अंकों की न्यूनतम कट-ऑफ प्रतिशतता साधारणतया निम्नानुसार होगी:-
- | | |
|-----------------------------|-----|
| सामान्य और भूतपूर्व सैनिक : | 35% |
| अजा/अजजा/अपिव : | 33% |

परन्तु अजा, अजजा और अपिव के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट दिए बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा । ऐसे अजा, अजजा और अपिव अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार सामान्य/अनारक्षित रिक्तियों में से सहयोजित किया जाएगा । आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा और अपिव श्रेणी के उन योग्य अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी जो कि अनारक्षित श्रेणी की योग्यता सूची में अंतिम सामान्य अभ्यर्थी से योग्यता क्रम में नीचे हैं किंतु मानकों में छूट देने पर वे अन्य प्रकार से नियुक्ति के लिए उपयुक्त पाए गए ।

कोई भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का अभ्यर्थी जो आयु सीमा, अनुभव या योग्यता, लिखित परीक्षा में अनुमत्य अवसरों की संख्या, एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन आदि जैसे मानकों में छूट के आधार पर अर्हता प्राप्त करता है उसे आरक्षित रिक्तियों में शामिल किया जाएगा, न कि सामान्य रिक्तियों में बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी चयन के लिए उपयुक्त हो । ऐसे अभ्यर्थियों की मानकों में छूट देकर संस्तुति भी की जाएगी । आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए भूपूसे को सरकार द्वारा यथानिर्धारित आयु में कटौती करने की अनुमति है तथा इस छूट को आयु के संदर्भ में मानकों में छूट नहीं कहा जा सकता ।

- (iii) प्रत्येक राज्य से चयनित अभ्यर्थियों का के.स.पु.ब. में आबंटन, राज्य के लिए प्रत्येक के.स.पु.ब. में रिक्तियों की उपलब्धता के अनुसार क.च.आ. द्वारा जमा की गई योग्यता सूची के आधार पर के.स.पु.बल/गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

- (iv) अभ्यर्थी द्वारा दिए गए बल/संगठन की योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर परिणाम की घोषणा की जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी किसी बल/संगठन के लिए कोई विकल्प नहीं देता, अथवा सीमित विकल्प (विकल्पों) देता/देते हैं तो उसके नाम पर आवेदन पत्र में यथा निर्दिष्ट डिफाल्ट विकल्प के अनुसार विचार किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी किसी विशिष्ट बल/संगठन के लिए नहीं चाहता कि उसके नाम पर विचार किया जाए तो उसे आवेदन पत्र के संगत कॉलम में क्रॉस चिह्न (X) लगाना चाहिए।

टिप्पणी- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को **यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं**। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश **पूर्णतया अनन्तिम** होगा, बशर्ते वे पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करते हों। यदि किसी भी समय शारीरिक मापदण्ड परीक्षा/शारीरिक क्षमता परीक्षा, लिखित परीक्षा तथा चिकित्सा परीक्षा से पहले अथवा बाद में जाँच करने पर यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो **आयोग द्वारा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी**।

11. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

- (क) आयोग द्वारा बराबरी(टाई) का निपटारा लिखित परीक्षा में कुल अंकों को देखकर किया जाता है अर्थात् लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी(यों) को प्राथमिकता दी जाती है।
- (ख) यदि इसके बाद भी बराबरी(टाई) बनी रहती है, तो भाग 'क' में प्राप्त अंकों को देखकर निपटारा किया जाता है अर्थात् भाग 'क' में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।
- (ग) यदि फिर भी बराबरी(टाई) बनी रहती है, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।
- (घ) यदि फिर भी बराबरी(टाई) बनी रहती है, तो अंत में टाई का निपटारा नामों के वर्णक्रम को देखकर किया जाता है अर्थात् जिस अभ्यर्थी का नाम वर्णानुक्रम में पहले आता है, तो ऐसे अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाती है।

12. आवेदन कैसे करें : आवेदन ऑनलाइन जमा किए जाए। केवल जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्य तथा परीक्षा की विज्ञप्ति (अनुबंध- VIX तथा XIII) में यथा सूचीबद्ध सीमा जिलों तथा वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन तथा ऑफलाइन आवेदन के चयन का अधिकार होगा। जम्मू-कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्य तथा अनुबंध -VIX तथा XIII में यथाउल्लिखित सीमा जिलों तथा वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों से प्राप्त ऑफलाइन आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा। ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों प्रकार से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता भी सरसरी तौर पर निरस्त कर दी जाएगी।

13. भर्ती में प्रवेश:

सभी अभ्यर्थी जो अंतिम तिथि तक इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में आवेदन करते हैं तथा जो पात्र हैं, उन्हें **अनुक्रमांक** दिया जाएगा, जिसे उन्हें अंतिम तिथि से दो सप्ताह के भीतर शामाप/शाक्षप के लिए बुलाने के समय पर सूचित कर दिया जाएगा। के.स.पु.ब. द्वारा शा.मा.प./शा.द.प. का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

शा.मा.प./ शाक्षप के लिए अभ्यर्थियों को बुलावा पत्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा जारी किया जाएगा। ऑनलाइन अभ्यर्थियों के लिए बुलावा पत्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की वेबसाइट

www.crpfnic.in से 15-04-2015 से 15-05-2015 तक डाउन लोड किए जा सकते हैं। **केवल ऑफलाइन** अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजे जाएंगे, तथापि वे भी उपर्युक्त वेबसाइट से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं ।

आयोग / के.स.पु.ब से किसी प्रकार का पत्राचार करते समय अभ्यर्थी अपना नाम, जन्म तिथि तथा परीक्षा के नाम सहित अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखें। ये विवरण न देने वाले अभ्यर्थी के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

शामाप/शाक्षप तथा चिकित्सा परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र न होने/इसे संबंधित के.स.पु.ब. के वेबसाइट से डाउनलोड करने में असमर्थता के मामले में अभ्यर्थी के.स.पु.ब. के समन्वक अर्थात् के.रि.पु.ब. से शामाप/शाक्षप अथवा चिकित्सा परीक्षा से कम से कम एक सप्ताह पहले संपर्क करें। शामाप/ शाक्षप तथा चिकित्सा परीक्षा का कार्यक्रम तथा प्रवेश पत्रों के प्राप्त न होने के मामले में संपर्क किए जाने वाले अधिकारी का संपर्क ब्यौरा केरिपुब की वेबसाइट: www.crpfnic.in पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

शामाप/शाक्षप और चिकित्सा परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम इसके आयोजन के कम से कम दो सप्ताह पहले, प्रत्येक दिन के लिए अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक ब्लॉक के साथ के.स.पु.ब. के समन्वयक अर्थात् के.रि.पु.ब. की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा । इसी प्रकार, केन्द्रों/उप केन्द्रों का ब्यौरा भी लिखित परीक्षा से कम से कम दो सप्ताह पहले के.स.पु.ब.की वेबसाइट www.crpfnic.in पर उपलब्ध होगा।

लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र(प्र.प.)कर्मचारी चयन आयोग की संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर ऑपलोड किए जाएंगे । प्रवेश पत्र जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र तथा अनुबंध- VIX तथा XIII में यथाउल्लिखित सीमा जिलों जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है तथा जिनके आवेदनों को स्वीकार किया गया है, को छोड़कर **डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे**। ऐसे अभ्यर्थियों को डाक द्वारा भी प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। **यदि कोई अभ्यर्थी जिन्होंने ऑफलाइन आवेदन किया है तथा उसे लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुआ है अथवा यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा तिथि से कम से कम एक सप्ताह पहले संबंधित आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में असमर्थ होता है, तो उसे तत्काल आवेदन प्रस्तुत करने के अपने प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/ उपक्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन के मामले में, अभ्यर्थी के पास पंजीकरण आइडी उपलब्ध होना चाहिए। ऐसा न करने पर परीक्षा में बैठने संबंधी दावे पर विचार किए जाने से वह वंचित हो जाएगा । अभ्यर्थियों को सलाह जाती है कि वे शामाप/शाक्षप पूरा होने के पश्चात् लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए समय-समय पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट देखें।**

टिप्पणी: अभ्यर्थी शामप/शाक्षप केन्द्रों, परीक्षा केन्द्र तथा चिकित्सा परीक्षा/पुनः चिकित्सा परीक्षा के स्थल में पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कम से कम एक फोटो जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र, आयकर पेन कार्ड मूल रूप में जरूर लाए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

14. आयोग का निर्णय अंतिम :

पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा(ओं) , के आयोजन परीक्षा केन्द्रों के आबंटन, तथा योग्यता सूची की तैयारी संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा ।

15. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिस शहर/कस्बे के न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है ।

16. आवेदन पत्र से संबंधित अनुदेशों, आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेशों और आवेदन पत्र के ऑनलाइन भुगतान/उसे जमा करने के लिए अभ्यर्थियों को क्रमशः अनुबंध-।। और अनुबंध -।।। देखने की सलाह दी जाती है ।

17. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1.	इस भर्ती परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेशन अथवा दसवीं कक्षा में उत्तीर्ण होना है । इस भर्ती में शारीरिक मापदण्ड परीक्षा (शा.मा.प.), शारीरिक क्षमता परीक्षा (शा.क्ष.प.), लिखित परीक्षा और चिकित्सा परीक्षा ली जाएगी । महिला अभ्यर्थियों के बारे में विभिन्न सशस्त्र पुलिस बलों में उनके लिए अलग से निर्धारित पदों पर विचार किया जाएगा ।
2.	आवेदकों की संभावित भारी संख्या को देखते हुए पात्रता और अन्य पहलुओं की संवीक्षा (छानबीन) शा.मा.प./ शा.क्ष.प. और लिखित परीक्षा से पूर्व नहीं की जाएगी और इसलिए अभ्यर्थिता केवल अनंतिम रूप से ही स्वीकार की जाएगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मापदण्ड इत्यादि की अपेक्षाओं को देख लें और अपनी संतुष्टि कर लें कि वे इन पदों के लिए पात्र हैं । समर्थक दस्तावेजों की प्रतियां केवल उन्हीं अभ्यर्थियों से मांगी जाएगी जो चिकित्सा परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं । यदि लिखित परीक्षा के बाद संवीक्षा (छानबीन) करने पर यह पाया जाता है कि आवेदन में किया गया कोई दावा ठीक नहीं है, तो यह अभ्यर्थिता रद्द (अस्वीकार) कर दी जाएगी और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।
3.	अभ्यर्थियों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पूर्व वे इस विज्ञप्ति में उल्लिखित विस्तृत अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें । यह विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट http://ssc.nic.in पर भी उपलब्ध है ।
4.	अजा/अजजा/अपिव/भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि वे इस विज्ञप्ति में निर्धारित पात्रता के अनुसार ऐसे आरक्षण के हकदार हैं । उनके पास अपने दावे के समर्थन में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में प्रमाणपत्र भी होने चाहिए, हालांकि इन प्रमाणपत्रों की प्रतियों की मांग लिखित परीक्षा के बाद ही की जाएगी । अपिव अभ्यर्थियों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास इस विज्ञप्ति में निर्धारित तारीख के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रारूप में जारी किया गया अपिव प्रमाणपत्र है ।
5.	शारीरिक विकलांग श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थी इस परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं हैं ।
6.	शुल्क: पचास रुपए केवल (50.00 रु): ऑफ लाइन आवेदन के लिए केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकटों अथवा

	भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से देय अथवा ऑनलाइन आवेदन के मामले में भा.स्टे. बैंक चालान/नेट बैंकिंग/क्रेडिट/डेबिट कार्डों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान । सभी महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सरकारी आदेशों के अनुसार आरक्षण के लिए पात्र भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट है।
7.	<p>अंतिम तिथि: ऑनलाइन आवेदन पत्र : 23.2.2015 (सायं 5.00 बजे तक)</p> <p>ऑफ लाइन आवेदन : 23.2.2015 (सायं 5.00 बजे तक) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नगालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-मण्डल, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए अन्तिम तिथि 02.03.2015 (सायं 5.00 बजे तक) है। विलम्ब से प्राप्त हुए आवेदनों को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।</p> <p>ऑनलाइन आवेदन पत्र को वेबसाइट: http://ssconline.nic.in और http://ssconline2.gov.in पर प्रस्तुत किया जा सकता है। भाग-। को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा 24.01.2015 से 21.02.2015 (सायं 5.00 बजे तक) तथा भाग-।। को भरने के लिए 23.02.2015 को (सायं 5.00 बजे तक) उपलब्ध रहेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग के साथ पत्राचार करने के लिए उन्हें दिया गया ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखना चाहिए। उन्हें आयोग में अपने आवेदन का प्रिंट आऊट जमा करने की आवश्यकता नहीं है।</p>
8.	परीक्षा केन्द्रों के भीतर मोबाइल फोन और उपकरणों एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग वर्जित है। जिन अभ्यर्थियों के पास ऐसे गैजेट पाए जाएंगे, उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी। आयोग ऐसे उपकरणों को अपने पास रखना अनुचित साधनों का प्रयोग समझता है।
9.	जम्मू और कश्मीर राज्य, पूर्वोत्तर राज्यों तथा देश के वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों और सीमावर्ती जिलों जैसा कि अनुबंध XIV और XIII में उल्लेख किया गया है, जहां अभ्यर्थियों के पास ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन करने का विकल्प होगा, को छोड़कर केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। दोनों तरीकों के माध्यम से आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता सरसरी तौर पर अस्वीकार की जा सकती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, केवल एक आवेदन प्रस्तुत किया जाए। अनेक आवेदनों की स्थिति में, ऑन-लाइन आवेदन के लिए अंतिम आवेदन जिसका भाग-। और भाग-।। पंजीकरण पूरा कर लिया गया है, को स्वीकार किया जाएगा। उपरोक्त यथा-उल्लिखित विशिष्ट क्षेत्रों के अभ्यर्थियों से ऑफ लाइन आवेदनों के लिए क्षेत्रीय निदेशक/उप निदेशक द्वारा अपने विवेकानुसार कोई एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
10.	ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के संबंध में, ऑनलाइन आवेदन कर रहे अभ्यर्थियों को एस एम एस/ई-मेल के माध्यम से आयोग द्वारा पावती भेजी जाएगी।
11	शामाप/शाक्षप के लिए प्रवेशपत्र के.रि.पु.बल द्वारा जारी किए जाएंगे/के.रि.पु.बल की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, जबकि लिखित परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर जारी/प्रदर्शित किए जाएंगे। ऑनलाइन अभ्यर्थी शामाप/शाक्षप हेतु अपने प्रवेशपत्र केरिपुब की वेबसाइट: www.crfp.nic.in से ही डाउनलोड करेंगे। केवल ऑफलाइन अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजे जाएंगे, तथापि वे भी उपर्युक्त वेबसाइट से अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं।

12.	<p>शामाप/शाक्षप के लिए ऑफलाइन अभ्यर्थियों के बुलावापत्र केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दिनांक 15.4.2015 से डाक द्वारा भेजे जाएंगे। ऑनलाइन अभ्यर्थियों के लिए बुलावा पत्र दिनांक 15.4.2015 से 15.5.2015 तक केरिपुब की वेबसाइट: www.crpf.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। किसी पूछताछ के लिए अभ्यर्थी सेवा चयन बोर्ड(प्रकोष्ठ), भर्ती शाखा, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय, ब्लॉक सं.1 केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली या उनकी हेल्पलाइन नम्बर 011-24364884, एक्सटेंशन 436 और 317 से सम्पर्क करें।</p>																														
13	<p>अभ्यर्थी अपना आवेदन भरने/प्रस्तुत करने और लिखित परीक्षा हेतु स्पष्टीकरण यदि कोई हो तो, के लिए निम्नलिखित क्षेत्रीय "हेल्प लाइन" से संपर्क कर सकते हैं :-</p> <table border="0" data-bbox="358 457 1295 884"> <tr> <td>(i)</td> <td>कचआ(उ क्षे), नई दिल्ली</td> <td>01164715222, 01165570666</td> </tr> <tr> <td>(ii)</td> <td>कचआ(म क्षे), इलाहाबाद</td> <td>05322460511, 05326541021</td> </tr> <tr> <td>(iii)</td> <td>कचआ(द क्षे), चेन्नई</td> <td>09445195946, 04428251139</td> </tr> <tr> <td>(iv)</td> <td>कचआ(प क्षे), मुम्बई</td> <td>09869730700, 07738422705</td> </tr> <tr> <td>(v)</td> <td>कचआ/पू क्षे, कोलकाता</td> <td>09477461228, 09477461229</td> </tr> <tr> <td>(vi)</td> <td>कचआ(म प्र क्षे), रायपुर</td> <td>09407921504, 09407921505</td> </tr> <tr> <td>(vii)</td> <td>कचआ(के क क्षे), बेंगलोर</td> <td>08025502520, 09483862020</td> </tr> <tr> <td>(viii)</td> <td>कचआ(पश्चिमो क्षे), चण्डीगढ़</td> <td>01722749378, 01722742144</td> </tr> <tr> <td>(ix)</td> <td>कचआ(पूर्वो.क्षे), गुवाहाटी</td> <td>09085073593, 09085015252</td> </tr> <tr> <td>(x)</td> <td>केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल</td> <td>011-24364884, एक्सटेंशन 436 और 317</td> </tr> </table>	(i)	कचआ(उ क्षे), नई दिल्ली	01164715222, 01165570666	(ii)	कचआ(म क्षे), इलाहाबाद	05322460511, 05326541021	(iii)	कचआ(द क्षे), चेन्नई	09445195946, 04428251139	(iv)	कचआ(प क्षे), मुम्बई	09869730700, 07738422705	(v)	कचआ/पू क्षे, कोलकाता	09477461228, 09477461229	(vi)	कचआ(म प्र क्षे), रायपुर	09407921504, 09407921505	(vii)	कचआ(के क क्षे), बेंगलोर	08025502520, 09483862020	(viii)	कचआ(पश्चिमो क्षे), चण्डीगढ़	01722749378, 01722742144	(ix)	कचआ(पूर्वो.क्षे), गुवाहाटी	09085073593, 09085015252	(x)	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	011-24364884, एक्सटेंशन 436 और 317
(i)	कचआ(उ क्षे), नई दिल्ली	01164715222, 01165570666																													
(ii)	कचआ(म क्षे), इलाहाबाद	05322460511, 05326541021																													
(iii)	कचआ(द क्षे), चेन्नई	09445195946, 04428251139																													
(iv)	कचआ(प क्षे), मुम्बई	09869730700, 07738422705																													
(v)	कचआ/पू क्षे, कोलकाता	09477461228, 09477461229																													
(vi)	कचआ(म प्र क्षे), रायपुर	09407921504, 09407921505																													
(vii)	कचआ(के क क्षे), बेंगलोर	08025502520, 09483862020																													
(viii)	कचआ(पश्चिमो क्षे), चण्डीगढ़	01722749378, 01722742144																													
(ix)	कचआ(पूर्वो.क्षे), गुवाहाटी	09085073593, 09085015252																													
(x)	केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	011-24364884, एक्सटेंशन 436 और 317																													
14	<p>अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में अपनी पहचान का फोटो लगा कम से कम एक साक्ष्य जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, आधार कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज द्वारा जारी पहचान पत्र, आयकर पेन कार्ड को मूल रूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>																														

विवरणिका

जम्मू-कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों तथा सीमावर्ती जिलों के ऑफलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भरने संबंधी अनुदेश

- 1.0 आवेदन पत्र भरने से पहले अपने स्वयं के हित में परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को कृपया सावधानीपूर्वक पढ़ लें ।
- 2.0 खाने में लिखने के लिए सिर्फ नीले/काले बॉल पेन का प्रयोग करें । अर्थात्
- 3.0 आवेदन पत्र में अधिकतर मर्दों के लिए अनुदेश दिए गए हैं जिसे खाने भरने से पहले सावधानीपूर्वक पढ़ लेना चाहिए । जिन मर्दों के लिए अनुदेश उपलब्ध नहीं है, नीचे दिए गए अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें ।
- 4.0 आवेदन पत्र में दिए गए प्रत्येक मद को भरने के लिए कृपया नीचे दिए गए अनुदेशों को पढ़ें :-
कॉलम 1 और 1.1: अधिवास का राज्य/संघ शासित क्षेत्र: नाम एवं कोड के लिए, अनुबंध-XII देखें । चिकित्सा परीक्षा के दौरान दस्तावेज सत्यापन के समय प्रमाण स्वरूप अधिवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा ।

कॉलम 2 और 2.1: परीक्षा केन्द्र का नाम और कोड : परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा-7 देखें यह नोट किया जाए कि आवेदन, अधिवास के राज्य/संघ शासित क्षेत्र को ध्यान में रखे बिना उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए जिसके क्षेत्राधिकार में वह केन्द्र स्थित है ।

कॉलम 11.1 आयु में छूट प्राप्त करने के लिए कोड
परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 4 ख देखें

कॉलम 13. अभ्यर्थी सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात् मुसलमान(मुस्लिम), ईसाई, सिख, बौद्ध या जोरास्ट्रियन(पारसी) से है तो यथा इंगित करें ।

कॉलम 14. परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा 8 (iii) देखें

कॉलम 15 उग्रवाद/नक्सल प्रभावित क्षेत्रों और सीमावर्ती जिलों के कोड के लिए, कृपया क्रमशः अनुबंध XIV और अनुबंध XIII देखें

कॉलम 16. **पदों के लिए प्राथमिकता**
अभ्यर्थियों को विभिन्न बलों के अंतर्गत पदों के लिए वरीयता सावधानीपूर्वक दर्शानी चाहिए । जिन उम्मीदवारों ने अपनी वरीयता दी है, उनकी रिक्तियां भर लेने के पश्चात जिन उम्मीदवारों ने विकल्प खाली रखा है/अमान्य दिया है/सीमित विकल्प दिया है, उनके नाम पर भी उन पदों को छोड़कर डिफाल्ट विकल्प के लिए विचार किया जाएगा जिनके लिए उम्मीदवार ने विचार न किए जाने का चयन किया है ।

कॉलम 17. **मैट्रिकुलेशन अथवा समतुल्य और उससे आगे की शैक्षिक योग्यता:**
कोड के लिए अनुबंध- X देखें । किसी भी अन्य योग्यता के लिए अन्य (कोड सं.35) का प्रयोग करें ।

कॉलम 18. विषय कोड : कोड के लिए अनुबंध -XI देखें । किसी भी अन्य विषय के लिए अन्य (कोड सं.48) का प्रयोग करे

कॉलम 19. डाक पता

अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अथवा हिन्दी में अपने नाम सहित पत्रव्यवहार का पूरा पता नीले/काले बॉल पेन से लिखें । खाने में 6 अंकों का पिन कोड लिखना न भूलें । सभी पत्राचार इस पते पर किया जाएगा ।

कॉलम 19. स्थायी एवं अधिवास पता

अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अथवा हिन्दी में अपने नाम सहित पत्रव्यवहार का पूरा पता नीले/काले बॉल पेन से लिखें । खाने में 6 अंकों का पिन कोड लिखना न भूलें ।

कॉलम 20. फोटोग्राफ

अपने 4 सें.मी. X 5 सें.मी. आकार का हाल ही का फोटोग्राफ चिपकाएं । फोटो को स्टैपल न करें और न ही अनुप्रमाणित करें । कृपया नोट करें कि फोटोग्राफ के बिना अथवा कटा-फटा/विकृत फोटोग्राफ होने पर आपका आवेदन पत्र सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा ।

अभ्यर्थी अनुक्रमांक के लिए आवेदन पत्र में खाने को खाली छोड़ दें ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर(जहां कहीं आवश्यक हो)

हस्ताक्षर रहित आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे ।

महत्वपूर्ण: बुलावा पत्र शा.मा.प/शा.द.प अथवा लिखित परीक्षा अथवा चिकित्सा परीक्षा के लिए स्थलों के बारे में आयोग सूचना भेज सकें, इसके लिए ई-मेल आई डी और/अथवा मोबाइल नम्बर देना अभ्यर्थियों के हित में है ।

ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की प्रक्रिया

टिप्पणी: भाग-I पंजीकरण की सुविधा 24.01.2015 से 21.02.2015 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।

भाग-II पंजीकरण की सुविधा 23.02.2015 (सायं 5.00 बजे) तक उपलब्ध होगी।

वेबसाइट www.ssconline.nic.in और <http://ssconline2.gov.in> पर आवेदन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। इसके विस्तृत अनुदेश साइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी को कुछ भी भरने अथवा विकल्प चुनने से पहले अनुदेश सावधानीपूर्वक पढ़ने चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अभ्यर्थी को सभी अपेक्षित विवरण देने चाहिए। अनिवार्य क्षेत्रों को * (तारक) चिन्ह से अंकित किया गया है। ऑनलाइन फॉर्म निम्नलिखित दो भागों में भरे जाएंगे :

भाग-I पंजीकरण

भाग-II पंजीकरण

1. भाग I पंजीकरण में, अभ्यर्थी को मूलभूत सूचना भरनी होगी। विवरण जमा करने पर, अभ्यर्थी को विवरण की जाँच करने और आवेदन पत्र में किसी प्रकार का सुधार यदि कोई हो, करने का सुझाव दिया जाएगा।
2. घोषणा करने के बाद जब अभ्यर्थी यह देखें कि उसके द्वारा दी गई सूचना क्रम में है और किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है तो वह "मैं सहमत हूँ" का बटन दबा सकता है। उसके बाद किसी सुधार/संशोधन आदि की अनुमति नहीं होगी।
3. स्क्रीन पर पंजीकरण सं. दर्शाने वाला एक पेज दिखाई देगा। अपना पंजीकरण संख्या नोट कर लें अथवा उस पेज का प्रिंट आऊट निकाल लें। पंजीकरण संख्या(अथवा पंजीकरण-II) को सभी संदर्भों में आयोग को उद्धृत करना आवश्यक होगा।
4. भाग-II पंजीकरण के बिना आवेदन प्रक्रिया अधूरी है। भाग II पंजीकरण में भुगतान संबंधी विवरण भरना, फोटोग्राफ और स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करना शामिल है।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें आवेदन शुल्क का भुगतान करना है वे नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड अथवा डेबिट कार्ड अथवा भारतीय स्टेट बैंक चालान के माध्यम से नकद ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। (जिसे भाग-I पूरा करने के पश्चात् डाउनलोड किया जा सकता है)
6. शुल्क का नकद भुगतान करने के लिए अभ्यर्थी भाग-I पंजीकरण को पूरा करने के बाद ऑनलाइन तैयार किए गए चालान का प्रिंट ले सकता है। यह आवश्यक शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में जमा करें और भाग-II पंजीकरण की प्रक्रिया को जारी रखें।

7. नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने के इच्छुक अभ्यर्थी भाग-। पूरा करने के बाद सीधे भाग II में जा सकते हैं । अभ्यर्थी को भाग II पंजीकरण की प्रक्रिया जारी रखने के लिए पंजीकरण संख्या और जन्म तिथि उपलब्ध करानी होगी ।
8. जिन्हें शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है वे 4 से 7 चरण छोड़ सकते हैं ।
9. उसके बाद **8-बिट जे पी जी फॉर्मेट में** हाल में खींचा व स्कैन किया गया फोटो अपलोड करें । फाइल का डिजिटल आकार **100 पिक्सल चौड़ाई और 120 पिक्सल ऊंचाई** रेजॉल्यूशन 12 के.बी. से छोटा तथा 4 के. बी. से बड़ा होना चाहिए ।
10. उसके बाद **जे पी जी फॉर्मेट में** अपना स्कैन किया गया हस्ताक्षर अपलोड करें । फाइल का डिजिटल आकार **140 पिक्सल चौड़ाई और 60 पिक्सल ऊंचाई** रेजॉल्यूशन के साथ 12 के.बी. से छोटा तथा 1 के. बी. से बड़ा होना चाहिए ।
11. आवेदन पत्र में किसी भी विवरण में परिवर्तन/सुधार के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा । **कर्मचारी चयन आयोग आवेदन पत्र में भरे गए किसी विवरण में किसी प्रकार के सुधार/जोड़/विलोपन के किसी भी कारण से स्वीकार न हो पाने से उठने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा , चाहे कोई भी कारण हो।**

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र
(कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी-।।।देखें)

मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार
..... (नंबर)(रैंक)
.....(नाम).....(दिनांक).....व
गे सशस्त्र सेना में अपनी नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे ।

स्थान:

(कमांडिंग अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

विज्ञप्ति के पैरा 4(ख)की टिप्पणी ।।। के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों
द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र

मैं यह जानता/जानती हूँ कि यदि उस भर्ती/ परीक्षा, जिससे यह आवेदन पत्र संबंधित है के आधार पर यदि मेरा चयन हो जाता है, तो मेरी नियुक्ति, नियोक्ता प्राधिकारी को मेरे द्वारा प्रस्तुत कागजी साक्ष्य पर उसकी इस संतुष्टि के अधीन होगी कि मुझे सशस्त्र सेना से विधिवत निर्मुक्त/ सेवानिवृत्त / कार्यमुक्त कर दिया गया है तथा मैं भूपूसै (समय समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय नागरिक सेवाओं और पदों पर पुनर्नियुक्ति नियम, 1979) की शर्तों के अधीन भूपूसै को देय लाभों का अधिकारी हूँ ।

मैं यह भी समझता/समझती हूँ कि यदि मैंने किसी भी समय इस नियुक्ति से पहले सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूपूसै के लिए स्वीकार्य रिक्तियों के आरक्षण की रियायत का लाभ उठाते हुए कोई रोजगार प्राप्त किया हो तो मैं इस परीक्षा के अंतर्गत आने वाली भर्ती के संबंध में भूपूसै के लिए आरक्षित रिक्ति पर नियुक्ति का पात्र नहीं हूंगा/ हूंगी ।

मैं इसके अतिरिक्त निम्नलिखित सूचना देता/देती हूँ :

- क) सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि _____
ख) कार्यमुक्ति की तिथि _____
ग) सशस्त्र बलों में सेवा की अवधि _____
घ) मेरी अंतिम यूनिट/कोर _____

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता(या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कहीं फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*
 पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*
 जिला/संभाग*राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*के
 जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950.....
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950.....
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*
 संविधान (अनुसूचित जनजाति)संघ राज्य क्षेत्र आदेश,1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश,1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम,1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम,1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956.....
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश(संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान
 (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश,1959
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश,1962
 संविधान(दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश,1962@
 संविधान(पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश,1964@
 संविधान(अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश,1967@
 संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश,1968@

संविधान(गोवा,दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश,1968@
संविधान(नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश,1970@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश,1978@
संविधान(सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश,1978@
संविधान(जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश,1989@
संविधान(अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम,1990@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम,1991@
संविधान(अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश,1996

%2 यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं ।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*के माता/पिता
श्री/श्रीमती.....निवासी
ग्राम/कस्बा*जिला/संभाग*राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र* को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित
जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो ... जाति/जनजाति
से संबंधित हैं जो..... दिनांकद्वारा
जारी.....राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है ।

%3 श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः
ग्राम/कस्बा* जिला/संभाग*राज्य/संघ राज्य
क्षेत्र.....में रहता है ।

हस्ताक्षर.....

**पदनाम.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

स्थान.....

दिनांक.....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें ।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें ।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें ।

टिप्पणी:- यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम,1950 की धारा 20 में दिया है ।

****जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्इपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- (iv) क्षेत्र का सब डिविजनल आफीसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी :- तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को **केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी** द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि

पुत्र/पुत्री ग्राम

जिला/संभागराज्य/संघ राज्य क्षेत्र के

समुदाय से संबंधित हैं जो दिनांक-----संकल्प सं.-----सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन पिछड़े वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती/कु०..... तथा/या उनका परिवार सामान्यतः..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जिला/संभाग में रहता/रहते हैं ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/22/93-स्था. -(एससीटी), दिनांक 8.9.1993 की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

दिनांक:

मुहर:

जिलाधीश या
उपायुक्त आदि।

*प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प का ब्यौरा का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति का अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लेख है ।

* समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी : यहां प्रयुक्त सामान्यतः शब्द का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है ।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र (कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति का पैरा -8(iii) देखें)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री -----
-----पुत्र श्री-----
-----ग्राम-----
-----तहसील/तालुका-----
-----जिला-----राज्य के स्थायी निवासी हैं ।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि :

* गढ़वाली, कुमायूनी, डोगरा, मराठा की श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एवं कश्मीर से संबंधित अभ्यर्थी ।

* पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा, एवं दार्जिलिंग जिले के तीन जिलों नामतः दार्जिलिंग, कलिम्पोंग और कुरसियोंग सहित गोरखा प्रादेशिक प्रशासन(जीटीए) की श्रेणी में आने वाले इन जिलों में निम्नलिखित "मोजास" उप-मण्डल शामिल हैं:

(1)लोहागढ़ चाय बागान (2)लोहागढ़ वन (3)रंगमोहन (4) बाराचेंगा (5) पानीघाटा (6) छोटा आदलपुर (7) पहारू (8) सुकना वन (9) सुकना भाग-1 (10) पंतापती वन-1 (11) महानदी वन (12) चम्पासरी वन (13) सलवारी छोट भाग-11 (14) सितोंग वन (15) सिवोक हिल वन (16) सिवोक वन (17) छोटा चेंगा (18) निपानिया

* वह अनुसूचित जनजाति के हैं ।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक :

स्थान :

* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें ।

सेवारत के.अ.सै.ब. कार्मिकों के पुत्रों, पुत्रियों, बच्चों के लिए प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि(अभ्यर्थी का नाम) के.औ.सु.ब./
सी.सु.ब/के.रि.पु.ब./स.सी.ब/भा.ति.सी.पु./असम राइफल यूनिटमें तैनात
नम्बर-----रैंक -----
नाम -----के पुत्र/पुत्री/बच्चे हैं । यह भी
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक सेवारत कार्मिक के साथ रह रहा है । इस व्यक्ति विशेष के सेवा
रिकॉर्ड से पुत्र/पुत्री/बच्चे का नाम सत्यापित कर लिया गया है ।

(यूनिट कमांडर के हस्ताक्षर)

दिनांक

नाम -----

रैंक.....

यूनिट.....

(कार्यालय की मुहर सहित)

टिप्पणी : प्रमाण पत्र की एक प्रति सेवारत कार्मिक की वैयक्तिक फाइल में रखी जाए ।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा उत्तीर्ण	<u>01</u>
इंटरमीडिएट/हायर सैकेंडरी	<u>02</u>
प्रमाणपत्र	<u>03</u>
डिप्लोमा	<u>04</u>
बी.ए.	<u>05</u>
बी.ए(आनर्स)	<u>06</u>
बी.कॉम	<u>07</u>
बी.कॉम(आनर्स)	<u>08</u>
बी.एस.सी	<u>09</u>
बी.एस.सी(आनर्स)	<u>10</u>
बी.एड.	<u>11</u>
एल.एल.बी	<u>12</u>
बी.ई.	<u>13</u>
बी.टैक	<u>14</u>
ए.एम. आई.ई(भाग क व भाग ख)	<u>15</u>
बी.एस.सी(इंजी.)	<u>16</u>
बी.सी.ए	<u>17</u>
बी.बी.ए	<u>18</u>
रक्षा(भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	<u>19</u>
पुस्तकालय स्नातक	<u>20</u>
बी.फार्मा	<u>21</u>
आई सी डब्ल्यू ए	<u>22</u>
सी. ए.	<u>23</u>
पी.जी.डिप्लोमा	<u>24</u>
एम.ए	<u>25</u>
एम.कॉम	<u>26</u>
एम.एस.सी.	<u>27</u>
एम.एड	<u>28</u>
एल.एल.एम	<u>29</u>
एम. ई.	<u>30</u>
एम. टैक	<u>31</u>
एम.एस.सी(इंजी.)	<u>32</u>
एम.सी.ए	<u>33</u>
एम.बी.ए	<u>34</u>
अन्य	<u>35</u>

शैक्षिक योग्यता के विषय कोड

शैक्षिक योग्यता का विषय	कोड
इतिहास	<u>01</u>
राजनीति विज्ञान	<u>02</u>
अर्थशास्त्र	<u>03</u>
अंग्रेजी साहित्य	<u>04</u>
हिंदी साहित्य	<u>05</u>
भूगोल	<u>06</u>
वाणिज्य	<u>07</u>
विधि	<u>08</u>
भौतिक विज्ञान	<u>09</u>
रसायन विज्ञान	<u>10</u>
गणित	<u>11</u>
सांख्यिकी	<u>12</u>
वनस्पति शास्त्र	<u>13</u>
प्राणी विज्ञान	<u>14</u>
कृषि विज्ञान	<u>15</u>
सिविल अभियांत्रिकी	<u>16</u>
वैद्युत अभियांत्रिकी	<u>17</u>
यांत्रिक अभियांत्रिकी	<u>18</u>
इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी	<u>19</u>
इलेक्ट्रॉनिकी एवं ऊर्जा अभियांत्रिकी	<u>20</u>
इलेक्ट्रॉनिकी एवं संचार अभियांत्रिकी	<u>21</u>
इलेक्ट्रॉनिकी एवं इंस्ट्रुमेंटेशन अभियांत्रिकी	<u>22</u>
कृषि अभियांत्रिकी	<u>23</u>
कम्प्यूटर विज्ञान	<u>24</u>
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	<u>25</u>
सूचना प्रौद्योगिकी	<u>26</u>
पुस्तकालय विज्ञान	<u>27</u>
लेखाशास्त्र	<u>28</u>
वर्क एकाऊर्टेसी	<u>29</u>
व्यापार प्रबंधन	<u>30</u>
जन संचार	<u>31</u>
पत्रकारिता	<u>32</u>
जन संचार एवं पत्रकारिता	<u>33</u>
फॉर्मैसी	<u>34</u>
फोटोग्राफी	<u>35</u>
मुद्रण प्रौद्योगिकी	<u>36</u>
नर्सिंग	<u>37</u>
असमी	<u>38</u>
बंगाली	<u>39</u>
मलयालम	<u>40</u>
तेलुगु	<u>41</u>
कन्नड	<u>42</u>

तमिल	<u>43</u>
मराठी	<u>44</u>
गुजराती	<u>45</u>
उर्दू	<u>46</u>
संस्कृत	<u>47</u>
अन्य	<u>48</u>

टिप्पणी : मैट्रिकुलेशन/10वीं कक्षा उत्तीर्ण और इंटरमीडियट/उच्चतर माध्यमिक विषय के लिए कॉलम को खाली छोड़ा जाए ।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कोड	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कोड
अंडमान और निकोबार	01	लक्षद्वीप	19
आंध्र प्रदेश	02	मध्य प्रदेश	20
अरुणाचल प्रदेश	03	महाराष्ट्र	21
असम	04	मणिपुर	22
बिहार	05	मेघालय	23
चण्डीगढ़	06	मिजोरम	24
छत्तीसगढ़	07	नगालैण्ड	25
दादर एवं नगर हवेली	08	उड़ीसा	26
दमन एवं द्वीव	09	पुडुचेरी	27
दिल्ली	10	पंजाब	28
गोवा	11	राजस्थान	29
गुजरात	12	सिक्किम	30
हरियाणा	13	तमिलनाडु	31
हिमाचल प्रदेश	14	तेलंगाना	32
जम्मू एवं कश्मीर	15	त्रिपुरा	33
झारखण्ड	16	उत्तर प्रदेश	34
कर्नाटक	17	उत्तराखण्ड	35
केरल	18	पश्चिम बंगाल	36

सीमा जिले

राज्य	सीमावर्ती जिले	कोड
असम	धुबरी, कछर एवं करीमगंज	01
अरुणाचल प्रदेश	तवांग, पूर्वी एवं पश्चिमी कामेंग, कुरुंग कुमें, उपरी सुबनसिरि, पश्चिमी सियांग, उपरी सियांग, दिबंग घाटी, निचली दिवांग घाटी तथा अंजॉ	02
बिहार	अरराई, पूर्वी चम्पारण, किशनगंज, सीतामढी, सुपाल, मधुबनी और पश्चिमी चम्पारण	03
गुजरात	कच्छ एवं भुज(तालुक)	04
हिमाचल प्रदेश	लहाऊल तथा स्पिति और किन्नौर	05
जम्मू एवं कश्मीर	कुपवाड़ा, बारामूला पुंछ, राजौरी, जम्मू और कठुआ, सांबा, बांदीपुर तथा लेह तथा कारिगल	06
मिजोरम	ममित, लूगंली, लवांगतलाई	07
मेघालय	पश्चिमी गारो हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, जेन्तियां हिल्स	08
पंजाब	गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर	09
राजस्थान	गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर	10
सिक्किम	पूर्वी जिला, उत्तरी जिला एवं पश्चिमी जिला	11
त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा, पश्चिमी त्रिपुरा, दक्षिणी त्रिपुरा, ढलाई	12
उत्तर प्रदेश	बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खेड़ी, महाराजगंज, पीलीभीत, श्रावस्ति और सिद्धार्थ नगर	13
उत्तराखण्ड	चम्पावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी, चमौली	14
पश्चिम बंगाल	दक्षिण 24 परगना, उत्तरी 24 परगना, नादिया, मुर्शिदाबाद, मेदहा, दक्षिण दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी, कूचबिहार	15
मणिपुर	चंडेल, सी सी पुर, उखरुल	16
नागालैंड	कैफाइर, मोन, फेक, ट्वेनसांग	17

नक्सल/आतंकवाद प्रभावित जिलों के नाम

नक्सल/आतंकवाद प्रभावित राज्यों के नाम	राज्यों में नक्सल/आतंकवाद प्रभावित जिलों के नाम	कोड
आंध्र प्रदेश	अनन्तपुर, आदिलाबाद, पूर्वी गोदावरी, गुण्टूर, करीमनगर, खम्मम, कुर्नूल, मेदक, मेहबूबनगर नालगोण्डा, प्रकाशम, श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम, विजयानगरम, निजामाबाद, वारंगल और निजामाबाद	51
बिहार	अरवल,औरंगाबाद,भोजपुर, पूर्वी चम्पारण , गया, जमुई, जहानाबाद , ,कैमूर, मुंगेर , नालन्दा, नवादा, पटना, रोहतास, सीतामढ़ी, पश्चिमी चम्पारण,मुजफ्फरपुर,शिवहर,वैशाली,बांका,लखीसराज, बेंगूसराय और खंगरिया	52
उड़ीसा	गजपति ,गंजम, क्यौंझार ,कोरापुट,मलकनगिरी , मयूरभंज, नवरंगपुर ,रयागडा, संबलपुर, सुन्दरगढ, ,नयागढ,कोंधमल,देवगढ,जजपुर, धेनकनल, कालाहांडी , नुआपड़ा , बारंगड़ और बालंगीर	53
झारखण्ड	बोकारो , छत्र , धनबाद , पूर्वी सिंघभूम, गरवा, गिरिडीह गुमला ,हजारीबाग, कोदरमा, लतेहर, लोहरडग्गा,पलामू, रांची, सिमडेगा, सरायकेला - खरसवान ,पश्चिमी सिंघभूम,खुन्ती,रामगढ, दुमका ,देवधर और पंकुर	54
छत्तीसगढ	बस्तर, बीजापुर,दन्तेवाड़ा, जसपुर ,कांकेर, लोरिया (बैकुण्ठपुर), नारायणपुर, राजनंदगांव, सरगुजा, धमतरी, महासमुंद ,गरियाबन्द, बालोद, सुकमा, कोंडागांव तथा बलरामपुर	55
मध्य प्रदेश	बालाघाट	56
महाराष्ट्र	चन्द्रपुर , गडचिरोली,गोन्दिया और अहेरी	57
उत्तर प्रदेश	चन्दौली, मिर्जापुर और सोनभद्र	58
जम्मू एवं कश्मीर	सम्पूर्ण जिले	59
मणिपुर	सम्पूर्ण जिले	60
मेघालय	सम्पूर्ण जिले	61
मिजोरम	सम्पूर्ण जिले	62
नगालैण्ड	सम्पूर्ण जिले	63
अरुणाचल प्रदेश	सम्पूर्ण जिले	64
असम	सम्पूर्ण जिले	65
त्रिपुरा	सम्पूर्ण जिले	66
पश्चिम बंगाल	बांकुरा,पश्चिम मिदना पुर, पुरुलिया एवं वीरभूम	67

